संख्या–4495/60–1–10–1/16 (147)/95

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 17 जनवरी, 2011

विषयः– महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम तथा गैर अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं में अंशकालिक चिकित्सकों एवं स्वच्छकारों को प्रचलित मानदेय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1332/म0क0निदे0/प्रोबे0/2010–11, दिनांक 06.10.10 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोर न्याय अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम तथा गैर अधिनियम 2000 के अन्तर्गत निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन 68 संस्थाओं में कार्यरत अंशकालिक चिकित्सकों का मानदेय रू0–1000/– से बढ़ाकर रू0–3000/– प्रतिमाह एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों को जो अपने विभाग में पूर्णकालिक वेतन में कार्यरत होगें को रू0–1500/– से बढ़ाकर रू0–2000/– मान देय के रूप में दिये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– अंशकालिक स्वच्छकार व रसोईया की सेवाएं सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लिए जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

3– उपर्युक्त की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन मानी जायेगी :–

(1) अतिरिक्त व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत वहन किया जाएगा।

(2) उक्त व्यय के सापेक्ष भारत सरकार से यथा स्थिति 50 प्रतिशत अथवा 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलने में कोई बाधा नहीं होगी।

4– उक्त के सम्बन्ध में जे0जे0 एक्ट एवं अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम तथा गैर अधिनियम से सम्बन्धित संस्थाओं पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष

–2–

2010–11 के अनुदान सं0–49–के लेखा शीर्षक 2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02 समाज कल्याण–102–बाल कल्याण– आयेजनेतर–13–संस्थानों गृहों का संचालन–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0–ई–3–2178/दस–2010, दिनांक 29 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–4495 (1)/60–1–10, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
4– समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भावना श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।